# प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 20.11.2024

---

## जनपद- चन्दौली

🔰 **जिलाधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 02 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधियों के विरूद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही।**

**चन्दौली:-** जिलाधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओ में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 02 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी हैं। तथा इन अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया हैं। अगर इसके बाद भी कोई शहर की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

**जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-**

**1.इम्तियाज पुत्र शाबिर अली निवासी ग्राम- सिकन्दरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र लगभग 37 वर्ष।**

1-मु0अ0सं0 39/2009 धारा 147/201/302/120बी भादवि थाना चकिया जनपद चंदौली

2-मु0अ0सं0 01/2024 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चंदौली

3-मु0अ0सं0 52/2024 गैंगस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चंदौली।

**2- उपेन्द्र सिंह पुत्र सत्य नारायण सिंह निवासी ग्राम समूदपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र लगभग 55 वर्ष।**

1- मु0अ0स0-62/2001 धारा 307 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2- मु0अ0स0-189/2005 धारा 120 बी,384,504,506 भादवि थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

3- मु0अ0स0-91/2024 धारा 352/351(2)/127(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

# थाना चकिया जनपद चन्दौली

- **थाना चकिया पुलिस द्वारा 02 चोरों को किया गया गिरफ्तार**
- **गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से नगदी की गयी बरामद**

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण, चोरी की रोकथाम, वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन, अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 20.11.24 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण 1. सलीम 2. इब्राहिम उर्फ ठेंगू पुत्रगण सुद्धू निवासीगण ग्राम शिकारगंज थाना चकिया जनपद चन्दौली को शिकारगंज पोखरे के पास से समय 04.10 बजे गिरफ्तारी/बरामदगी की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-** दिनाँक 27.10.2024 को थाना स्थानीय पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनाँक 23.10.2024 को वादी के घर के पास से 04 बकरा व 01 बकरी बांधी गयी थी रात में अज्ञात चोरों द्वारा बकरी व बकरों की चोरी कर ली गयी थी वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित की गयी।

**पूछताछ विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग लठिया गांव मे मदन पासवान के घर दिनांक 23.10.2024 की भोर मे चार बकरा व एक बकरी की चोरी किये थे और अज्ञात व्यक्ति को चारो बकरा व एक बकरी को 24500 रूपये मे बेच दिये थे। बेचने से मिले पैसे को हम दोनो लोगों ने आपस मे बराबर-बराबर बांट लिये।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का नाम व पता-**

1.सलीम पुत्र सुद्धू निवासी ग्राम शिकारगंज थाना चकिया जनपद चन्दौली

2. इब्राहिम उर्फ ठेंगू पुत्र सुद्धू निवासी ग्राम शिकारगंज थाना चकिया जनपद चन्दौली

**बरामदगी का विवरण-**

1. 4300 रूपये

**गिरफ्तारी टीम का विवरणः-**

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।
3. हे0का0 रामतीर्थ थाना चकिया जनपद चन्दौली।
4. का0 प्रदीप सिंह थाना चकिया जनपद चन्दौली।

## थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

🔶 **थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 03 मैजिक वाहन से क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 08 राशि गोवंश (05 राशि गाय व 03 राशि बछिया) बरामद करते हुये 03 शातिर गो-तस्करों को किया गया गिरफ्तार।**

**चन्दौली-** श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व अपराध में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अपराध के रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन एवम् आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 03 मैजिक वाहन से क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 08 राशि गोवंश (05 राशि गाय व 03 राशि बछिया) बरामदगी के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 311/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**पुलिस कार्यवाही-** दिनांक 19.11.2024 को उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन की चेकिंग एवं गोतस्करी के रोकथाम हेतु हाइवे पर गस्त के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना दिया कि वाराणसी के रास्ते 03 मैजिक वाहन से गोवंशो को ले जाया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा सिंधीताली ओवरब्रिज पर वाराणसी की तरफ से आने वाली वाहनों की चेकिंग के दौरान बैरियर से कुछ दुर पहले ही पुलिस टीम को देखकर तीनो पिकअप वाहन चालको द्वारा वाहन को मोडकर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर सभी पिकअप वाहन चालको को पकड लिया गया। पकड़े गए वाहन व गो-तस्करों की **पहचान-**

1.वाहन संख्या UP65 GT 7728 मैजिक वाहन के चालक ने अपना नाम विकास चौरसिया पुत्र छोटे लाल चौरासिया निवासी ग्राम माटी गाँव थाना चन्दौली जिला चन्दौली उम्र करीब 27 वर्ष।

2.वाहन संख्या UP 65 MT 5737 से सूरज पाल पुत्र श्याम सुंदर पाल निवासी ग्राम पिसौर थाना शिवपुर जिला- वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष।

3.वाहन संख्या UP65MT 1151 से अजय कुमार यादव पुत्र सिलवंता यादव निवासी जोगियापुर थाना मिर्जामुराद जिला- वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष ।

**विवरण पूछताछ** –

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि हम सभी बनारस से गौवंशो को लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पाश्चिम बंगाल से जा रहे थे, इस धंधे में हम लोगो कि अच्छी कमाई हो जाती है। चालकों ने यह भी बताया कि गाड़ियों में 02 से अधिक

गौवंध लादने पर रास्ते में पुलिस के पकड़ने का डर रहता है इसलिए हम लोग दो या एक जानवर और उसके साथ बछड़ा या बछिया भी रख लेते है।

**बरामदगी का स्थान –**

स्थान – सिंधीताली पुल हाईवे थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

**विवरण बरामदगी-**

1.03 मैजिक वाहन (01 - UP65GT 7728, 02-UP65MT 1151, 03-UP65 MT 5737)

2.कुल 05 राशि गाय व 03 राशि बछिया जिन्दा अवस्था में बरामद

**गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-**

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.का0 प्रभाकर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.का0 शैलेन्द्र कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

5.का0 शैलेन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

6.का0 रामसूरत चौहान थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

7.का0 दीपक यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

(ऑपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट चन्दौली) द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 15.01.2007 को धारा 323,325,504,427,147 भादवि व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.उमेश उर्फ गुड्डू पाठक पुत्र स्व0 कमलाकर पाठक 2.अरविन्द पाठक पुत्र स्व0 कमलाकर पाठक 3.नखड़ू पाठक पुत्र भोला पाठक निवासीगण रामगढ़ थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 03/2007 धारा 323,325,504,427,147 भादवि व 3(1)x एससी/एसटी एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री जय प्रताप सिंह (एडीजीसी) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-20.11.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पे0 जज एससी/एसटी कोर्ट चन्दौली) द्वारा 1.उमेश उर्फ गुड्डू पाठक पुत्र स्व0 कमलाकर पाठक को 03 वर्ष का कारावास व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।